सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नाथु सिंह राजपुरोहित उम्र 48 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी जनता टॉकिज के पास बारां जिला बारां (मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता) मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बारां जिला बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हजारीलाल भार्गव अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 17.07.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.08.2018 को मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नाथु सिंह राजपुरोहित **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 25.08.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित)** विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित)** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि0ग्रा0 एक साफ सुखे तपीले में एक समरूप कर तुलवाकर के** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नाथु सिंह राजपुरोहित को 720/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री हेमसिंह व श्री प्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित) 02 कि0ग्रा0** को चार खाली साफ एवं सुखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशीयों में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–845 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–845 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पृथ्वी सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नाथु सिंह राजपुरोहित ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/175 दिनांक 24.09.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 529/FSSA/Kota/Act/2018/560 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित) असुरक्षित (Unsafe)** पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां मे पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/220 दिनांक 22.11.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिर्पोट से निर्माता संतुष्ट नही होने के कारण निर्माता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी जिस पर नमूने के द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएसए/2018/190 दिनांक 16.10.2018 द्वारा रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे में भिजवाया गया था। जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक रेफरल

लेबोरेट्री पूणे का क्रमांक RFL/DO/349/18/956 दिनांक 12.11.2018 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार निर्माता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार, प्रताप चौक बारां जिला बारां से पत्रांक 215 दिनांक 19.11.2018 द्वारा फर्म मालिक, पार्टनर, खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं पहचान दस्तावेजों की प्रति चाही गई। मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित) 2 कि0ग्रा0** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ा) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक ने कहा कि आवेदक ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों की पूर्ण पालना नही की है एवं नियमानुसार विधि नही अपनाई गई है। मौके पर कोई दस्तावेज तैयार न कर अपने कार्यालय में बैठकर दस्तावेज तैयार किये है और कार्यालय में ही सेम्पल सील मोहर किये गये है। इसके बाद गवाहान के हस्ताक्षर भी कार्यालय में ही करवाने से दोषपूर्ण कार्यवाही अमल में लाने से आवेदन खारिज होने योग्य है। गवाहान के बयान पत्रावली में शामिल नही है, वक्त सेम्पल के समय का नोटिफिकेशन पद स्थापन आदेश आवेदक का पत्रावली में शामिल नही है।

सेम्पल की जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट नयापुरा कोटा दिनांक 12.09.2018 को तैयार हो गई थी। परन्तु आवेदक ने अप्रार्थी को सूचना नियमानुसार समय सीमा में नही दी गई, ऐसा कोई पत्र पत्रावली में संलग्न न होने से कार्यवाही दोषपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। फूड एनालिस्ट नयापुरा कोटा की एफएसएल रिपोर्ट में फेट मी मात्रा 45.3 दर्शाई गई है एवं फूड एनालिस्ट पूर्ण की एफएसएल रिपोर्ट में फेट 43.6 दर्शाई गई है। अस्तु दोनों जांच रिपोर्ट भिन्न भिन्न होने से मामला स्वतः ही निरस्त होने योग्य है तथा दोनो एफएसएल रिपोर्ट में प्रसीक्राइड स्टेण्डर्ड मिल्क फेट नयापुरा कोटा में 40.00 से 44.00 तथा पूणे में 40.00 से 43.00 बताया गया है। ऐसी स्थिति में भी आवेदन चलने योग्य नही है। अप्रार्थी द्वारा शुद्ध तरीके से प्रसीक्राइड मानक पर मिल्क केक निर्मित किया है जिससे आज तक किसी भी ग्राहक को कोई नुकसान नही हुआ है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मिल्क केक(दूध व चीनी से निर्मित) 2 कि0ग्रा0 पैक** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 20,000/– रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)